यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

पोस्टल बैलट नोटिस
POSTAL BALLOT NOTICE

पोस्टल बैलट फ़ॉर्म जांचकर्ता को पहुँचने की अंतिम तिथि:
Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer:

गुरुवार, 14 फरवरी, 2019
Thursday, 14th February, 2019

ई–वोटिंग अवधि / E-Voting Period

बुधवार, 16 जनवरी, 2019 से गुरुवार, 14 फरवरी, 2019
Wednesday, 16th January, 2019 to Thursday, 14th February, 2019

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.

पोस्टल बैलट नोटिस

प्रिय शेयरधारक,

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 यथा समय-समय पर संशोधित तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 & 22 (विद्यमान प्रभावी किसी भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन(नों)) के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद **"बैंक"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) अपने शेयर धारकों से पोस्टल बैलट के जरिए जिसमें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग यथा "ई-वोटिंग" शामिल है, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करने की अनुमति चाहता है. प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तांत एवं उसके कारण आपके विचारार्थ हेतु पोस्टल बैलट फॉर्म **("फॉर्म")** के साथ संलग्न हैं.

बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री अंकुर कुमार, मेसर्स ईज़ेडवाई लॉ, एडवोकेट & कॉर्पोरेट लिगल एडवाइजर जांचकर्ता की नियुक्ति की है.

कृपया पोस्टल बैलट नोटिस & फॉर्म में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े तथा पूर्ण रूप से विधिवत्त भरा हुआ फॉर्म संलग्न स्वनामांकित पोस्टेज प्री-पेड बिजनेस लिफाफे में इस तरह भेजे कि वह जांचकर्ता को निम्नलिखित पते पर **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019** को कार्य की समाप्ति यथा शाम **5.00 बजे** तक प्राप्त हो जाएं:

जांचकर्ता
द्वारा डाटामेटिक्स बिजनेस सोल्यूशंन लि.,
यूनिटः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
प्लॉट नंबर. बी-5, पार्ट बी, क्रॉसलेन, एमआईडीसी
अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093

बैंक विशेष संकल्प पर वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रहा है. ई-वोटिंग सुविधा इस्तमाल करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स एवं ई-वोटिंग के अधीन दिए गए निर्देशों को पढ़े.

जांचकर्ता पोस्टल बैलट की जांच पूर्ण करने के बाद रिपोर्ट को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (**"एमडी & सीईओ"**) या बोर्ड निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निदेशक/अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. पोस्टल बैलट द्वारा वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में **शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे** या उसके पूर्व सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज़ को सूचित की जाएगी. यह बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in एवं ई-वोटिंग एजेंसी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (**"सीडीएसएल"**) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी.

कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत (जिसे आगे **"यूनियन बैंक-ईएसपीएस"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पात्र कर्मचारियों के लिए ₹10 (रूपए दस मात्र) प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले कुल 8,00,00,000 (आठ करोड़) के इक्विटि शेयर, एक या एक से अधिक किस्तों में, सृजित करने, प्रदान करने, प्रस्तावित करने, जारी और आबंटित करने के लिए, और बैंक के विद्यमान इक्विटि शेयर के समान श्रेणी में, और बोर्ड/समिति द्वारा उनके संपूर्ण अधिकार के निर्णय अनुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों और नियम एवं शर्तों पर जारी किए जाएंगे तथा विचारोपरांत उचित पाए जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में संशोधन(नों) सहित या बिना संशोधन(नों) के निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**"अधिनियम"**) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (**"योजना"**) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 (**"विनियमन"**) यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक (**"आरबीआई"**) भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के इक्विटि शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां कहीं भी लागू हो और /या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा दी गई सहमति के अनुसार तथा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 (**"एसबीईबी विनियमन"**), यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं अद्यतन संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 (**"लिस्टिंग विनियमन"**), बैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेजों बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई"**) तथा नेशनल स्टॉक एक्स्चेज ऑफ इंडिया (**"एनएसई"**) के साथ किए गए यूनिफ़ोर्म लिस्टिंग एग्रीमेंट, किसी भी स्तर पर लागू अनुमोदनों, मंजूरी एवं स्वीकृतियों के अधीन है तथा ऐसे अनुमोदनों, मंजूरी एवं स्वीकृतियों को मंजूरी देते समय ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किसी भी शर्तों एवं संशोधनों के अधीन अधिरोपित या निर्धारित किया जा सकता है, जिसे बैंक का निदेशक मण्डल सहमत और स्वीकार कर सकता है, बैंक के शेयर धारकों की सहमति के पश्चात बैंक के निदेशक मंडलों (इसके पश्चात इसे **"बोर्ड"** के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जाने वाली समिति भी शामिल है) के लिए अनुबंधित किया जाता है एवं इस अनुबंध के माध्यम से ऐसे पात्र कर्मचारियों, जो भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हैं, को एक या एक से अधिक भाग/अंश को सृजित करने, प्रदान करने, प्रस्तावित करने, जारी तथा आवंटित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसकी अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(कों) (**"पात्र कर्मचारियों"**) गण शामिल होंगे. बैंक द्वारा तय किए गए कुल **8,00,00,000 (आठ करोड़)**

तक के नए इक्विटि शेयरों का ₹10/- प्रति अंकित मूल्य के साथ, सभी सम्बन्धों एवं सभी प्रयोजनों के लिए बैंक की मौजूदा इक्विटि शेयरों सहित परी पासु रैंकिंग, कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ यूनियन बैंक-ईएसपीएस के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत लाभांश के भुगतान सहित, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा ऐसे नियम एवं शर्तों पर बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेक से इस प्रकार तय की जा सकती है कि भारत सरकार की अंशधारिता 52.00% से कम न हो."

"पुनः संकल्प किया कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम या अन्य सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन(नों) या उससे संबंधित पुनः अधिनियम में वर्णित लेखांकन नीतियों का पालन करेगा."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड उस स्टॉक एक्सचेंज पर यूनियन बैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत जारी एवं आवंटित इक्विटि शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत होगा, जहां बैंक के शेयरों स्टॉक एक्सचेंजों के साथ यूनिफ़ोर्म लिस्टिंग एग्रीमेंट के नियमों एवं शर्तों एवं अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है."

"पुनः संकल्प किया गया कि बोर्ड एतदद्वारा यूनियन बैंक ईएसपीएस को ऐसे नियमों एवं शर्तों पर लागू करने, विकसित करने, निर्णय लेने एवं प्रभावी करने हेतु तथा समय-समय पर यूनियन बैंक ईएसपीएस के नियम एवं शर्तों में किसी भी आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), फेरबदल(लों), विलोपन(नों) या संशोधन(नों) को करने हेतु अधिकृत है, जिसमें शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन(नों) करना या यूनियन बैंक ईएसपीएस को इस प्रकार निलंबित करना, वापस लेना, समाप्त करना या संशोधित करना, जैसा कि बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित कर सकता है तथा यूनियन बैंक ईएसपीएस के कार्यान्वयन एवं प्रस्तावित यूनियन बैंक ईएसपीएस के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयर के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, समस्याओं या शंकाओं को भी हल कर सकता है, जहां शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति या अनुमोदन प्राप्ति की आवश्यकता इस आशय से महसूस न की जाए और यह मान लिया गया है कि शेयरधारक ने इस संकल्प में स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन प्रदान किया है."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को निदेशक की समिति(यों), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी(रियों) जिन्हें वह उचित समझे में से किसी को भी एसबीईबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) अधिनियम, 2014 एवं अन्य लागू क़ानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है."

निदेशक मण्डल के आदेशों द्वारा जारी

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थानः मुंबई
दिनांकः 3 जनवरी, 2019

नोटः

1. प्रस्तावित प्रस्ताव के सभी प्रमुख तथ्य एवं कारणों सहित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
2. पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिसके ई-मेल बैंक/डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, बशर्ते कि उसने इसकी भौतिक प्रति प्राप्त होने के लिए रजिस्टर्ड न कर रखा हो. उन शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पंजीकृत नहीं हैं, भौतिक प्रतियाँ अनुमत माध्यमों से भेजी जा रही है. शेयरधारक यह भी नोट करें कि पोस्टल बैलट नोटिस बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in और ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी.
3. वोटिंग अधिकार की गणना **शुक्रवार, 11 जनवरी, 2019** (**"निर्धारित तारीख"**) को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटि शेयर की दत्त पूंजी के आधार पर की जाएगी. केवल वही शेयरधारक, जिनके नाम निर्धारित तिथि को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर्ड या डिपोजिटरीज के द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर में दर्ज हैं, वही पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट दे पाएंगे. कोई भी व्यक्ति, जो निर्धारित तिथि को शेयरधारक नहीं है, वह पोस्टल बैलट की इस नोटिस को केवल सूचना मात्र समझें.
4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक किसी शेयरधारिता के लिए वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा. अधिनियम(मों), विनियमन(नों), योजना(ओं) में किसी भी संशोधन के परिणामस्वरुप विद्यमान प्रक्रिया में किसी भी भाग में परिवर्तन, जैसे कि नोटिस में निहित है, संशोधन लागू होगा.
5. शेयरधारक वोटिंग का केवल एक विकल्प चुन सकते हैं अर्थात या तो पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग. यदि, कोई शेयरधारक अपना वोट पोस्टल बैलट फॉर्म और ई-वोटिंग दोनों प्रकार से देता है, तो ई-वोटिंग से दिया गया वोट वैध माना जाएगा और पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से दिए गए वोट को अवैध माना जाएगा.
6. इसके अलावा, जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलट की नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है और वो पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपना वोट देना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 को लिखें या investorservices@unionbankofindia.com पर ई-मेल करें और विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता को इस प्रकार भेज दें कि वह **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** तक या उससे पहले उनके पास पहुंच जाएं.

7. उक्त प्रस्ताव, यदि बहुमत से पास हो जाता है, तो इसे **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019** अर्थात बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग की प्राप्ति को पास हुआ माना जाएगा.

8. किसी भी शेयरधारक को पोस्टल बैलट पर प्रोक्सी द्वारा वोट करने का अधिकार नहीं होगा.

9. ऐसे शेयरधारक, जो फॉर्म द्वारा वोट करना चाहता हैं, से अनुरोध है कि फॉर्म के पीछे मुद्रित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें एवं पूरा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फॉर्म संलग्न प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे, जिस पर प्राप्तकर्ता का पता मुद्रित है, में रखकर जांचकर्ता को भेंज दें, जिससे वह जांचकर्ता को **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** तक पहुंच जाएं. डाक खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा. तथापि, पोस्टल बैलट फॉर्म का लिफाफा यदि कोरियर या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा शेयरधारक अपने व्यय पर प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे पर दिए गए पते पर भेजना है या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा. यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** के बाद प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इसके अलावा, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अवैध माना जाएगा यदि:

(i) शेयरधारक/कों की सहमति या असहमति का बिना किसी संदेह के पता लगाना संभव नहीं होता है; और/या

(ii) सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक/कों के वोटिंग अधिकार को फ्रीज़ करने के लिए बैंक को लिखित रूप से निर्देश दे दिए हैं; और/या

(iii) यह इस तरीके से मुड़ा-तुड़ा या कटा-फटा है कि इसकी पहचान वाज़िब फॉर्म के रूप में स्थापित करना संभव नहीं है; और/या

(iv) शेयरधारक/कों ने अपने वोट का प्रयोग करते समय इसमें दिए गए प्रस्ताव में कोई संशोधन कर दिया है या कोई ऐसी शर्त लगा दी है; और/या

(v) फॉर्म में दिए गए विवरण अपूर्ण एवं सही नहीं हैं; और/या

(vi) फॉर्म हस्ताक्षरित नहीं है या हस्ताक्षर मेल नहीं खाते; और/या

(vii) यदि प्रयोग में लाया गया फॉर्म बैंक द्वारा जारी फॉर्म से अलग है.

10. यदि, कोई शेयरधारक डुप्लीकेट फॉर्म लेने का इच्छुक है, तो वह बैंक को इसके पते पर केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 या इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, डाटामैट्रिक्स बिजनेस सोल्युशन लिमिटेड यूनिट-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्लॉट न. बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 को लिख सकते हैं. तथापि, ऐसी स्थिति में भी पूरा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता के पास **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** तक पहुंच जाना चाहिए.

11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार होगा:

(i) वोटिंग की अवधि **बुधवार, 16 जनवरी, 2019** को **सुबह 9.00 बजे (आईएसटी)** शुरू होकर **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019** को **शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** तक समाप्त होगी. इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा. इस अवधि के दौरान, बैंक के ऐसे शेयरधारक जो **कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 11 जनवरी, 2019** तक भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करते हैं, वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं.

(ii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-इन करना होगा.

(iii) शेयरधारकों / सदस्यों पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें

(क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,

(ख) एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों का डीपी (DP) आईडी के बाद 8 अंकों का ग्राहक/क्लाइंट आईडी,

(ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ रजिस्टर किया गया फोलियो नंबर प्रविष्ट करना होगा.

(v) इसके बाद दिए गए चित्र के अनुसार सत्यापन करें और लॉग-इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आप डिमैट रूप में शेयर धारण करते हैं और आपने पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग के लिए www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर वोट कियाहै, तो आपका मौजूदा पासवर्ड प्रयुक्त होगा.

(vii) यदि आप पहली बार के यूजर हैं, तो निम्नानुसार आगे बढ़ें:

पैन (PAN)	• आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमरिक पैन (PAN) प्रविष्ट करें (डिमैट एवं भौतिक दोनों प्रकार के शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन शेयरधारकों ने बैंक / डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ अपना पैन (PAN) अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन (PAN) फील्ड में सीक्वेंस नंबर डाले जो पोस्टल बैलट फार्म पर प्रिंट किया गया है या सीडीएसएल द्वारा ई-मेल में भेजा गया है.

लाभांश बैंक का विवरण या जन्म तिथि (DOB)	• लॉग-इन करने के लिए लाभांश बैंक का विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) जैसा आपके डिमैट खाते या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे प्रविष्ट करें. • यदि दोनों ही जानकारियाँ डिपोजिटरी या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो लाभांश बैंक का विवरण वाले फील्ड में अनुदेश (iv) में उल्लिखित सदस्य युजर आईडी प्रविष्ट करें.

(viii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि के बाद, **"SUBMIT"** टैब पर क्लिक करें.

(ix) भौतिक रूप से शेयर धारित शेयरधारक सीधे कंपनी सिलेक्सन स्क्रीन पर पंहुच जाएंगे. तथापि, डिमैट रूप में शेयर धारित शेयरधारक, `पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू में पंहुच जाएंगे जहां नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यतः अपने लॉगिन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी. कृपया ध्यान दें कि डिमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का प्रयोग, किसी अन्य कंपनी, जिसमें वो वोट देने के पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोटिंग में कर सकेंगे बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफ़ार्म के द्वारा वोटिंग कराने का चयन करे. आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें एवं अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

(x) भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक के लिए, इस सूचना में दिये गए संकल्पों में केवल ई-वोटिंग के लिए ही विवरणों का उपयोग किया जा सकता है.

(xi) वोट देने के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के ईवीएसएन पर क्लिक करें.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" (रिजोल्यूशन डिसक्रीप्शन) दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प "हाँ/नहीं" प्राप्त होगा. स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें. विकल्प हाँ यह दर्शाता है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत है.

(xiii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.

(xiv) संकल्प का चयन करने के उपरांत आपने वोटिंग करने का निर्णय ले लिया है, तो **"SUBMIT"** पर क्लिक करें. तदुपरांत एक पुष्टीकरण बॉक्स आपको दिखाई देगा. यदि आप वोटिंग की पुष्टि करना चाहते हैं तो **"OK"** पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट को बदलने के लिए **"CANCEL"** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें.

(xv) संकल्प में एक बार अपना वोट "पुष्टि" (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) वोटिंग पृष्ठ में **"Click here to print"** पर क्लिक कर आपके द्वारा दिये गए वोट का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं.

(xvii) यदि कोई डिमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाता है, तो उसे अपनी यूज़र आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्टि कर **"Forgot Password"** पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा मांगे गए विवरणों को अंकित करना होगा.

(xviii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल एप से अपना वोट दे सकते हैं. गूगल के प्ले स्टोर से एम-वोटिंग एप डाउनलोड किया जा सकता है. एपल तथा विंडो फोन उपयोगकर्ता एप स्टोर एवं विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप को डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल एप से वोट करते समय कृपया एप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

(xix) **गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट**

- गैर व्यक्तिगत शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) और अभिरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करके स्वंय को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें.लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूज़र बनाया जाना चाहिए. इससे अनुपालन यूज़र जिस खाते से वोट करना चाहते है, उसको लिंक करने में वह सक्षम हो जाएगा.
- लॉगिन लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल किया जाए जिससे खाते का अनुमोदनहो जाने पर वे अपना वोट देने में सक्षम होंगे.
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ़ प्रति अपलोड की जाए.

(xx) ई-वोटिंग से संबन्धित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में, हेल्प सेक्शन में www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (**"FAQs"**) और ई-वोटिंग मैन्यूअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें.

व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण को सेबी (शेयर बेसड इंप्लायमेंट बेनीफिट) नियमों 2014, के विनियम 6 (2) के शर्तों पर बनाना आवश्यक है

बैंक ने कर्मचारियों में अपनेपन की भावना सृजित करने एवं उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से **1 जनवरी, 2019 दिन मंगलवार** से संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को छोडकर एमडी & सीईओ तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक सहित सभी स्थायी कर्मचारियों (**"पात्र कर्मचारियों"**) के लिए नए इक्विटि शेयर जारी कर रहा है. प्रस्तावित मुद्दा बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करेगा तथा दीर्घ अवधि तक संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करेगा.

एसबीईबी नियमों के अनुपालन में, बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना (**"यूनियन बैंक – ईएसपीएस"**) नामक एक योजना बना रही हैं. यह योजना बैंक के हित धारक संबंधी समिति (**"एसआरसी"**) द्वारा अधिशासित की जाएगी तथा यह लागू कानून के अधीन होगी.

बैंक को भारत सरकार से पत्रांक एफ़.क्र.11/17/2013-बीओए दिनांक 21 दिसंबर 2018 द्वारा यूनियन बैंक-ईएसपीएस के अधीन बैंक के कर्मचारियों को ₹ 600 करोड़ (रुपये छः सौ करोड़ मात्र) तक की राशि के 8,00,00,000 करोड़ (आठ करोड़) तक नए इक्विटि शेयर जारी करने हेतु मंजूरी प्राप्त हुई है एवं यह इस तरीके से की जानी है कि इससे भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% से कम ना हो.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कुल **₹ 6,850 करोड़ (रुपए छः हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** की कुल इक्विटि पूंजी बढ़ाने की योजना में से बैंक के बोर्ड ने **यूनियन बैंक ईएसपीएस** के अधीन पात्र कर्मचारियों से अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बोर्ड/समिति द्वारा निर्णीत नियमों एवं शर्तों पर **₹10/- (रुपए दस मात्र)** प्रत्येक के अंकित मूल्य पर **8,00,00,000 (आठ करोड़)** के नए इक्विटि शेयर द्वारा कुल **₹ 600 करोड़ (रुपए छः सौ करोड़ मात्र)** की इक्विटि पूंजी का एक या एक से अधिक अवसरों पर उसी मूल्य या मूल्यों पर जुटाने, अनुदान की पेशकश करने, जारी करने और आवंटित करने का निर्णय लिया है.

दीर्घ अवधि तक संसाधन जुटाने के अलावा, इश्यू का निम्न उद्देश्य हैं:

- बैंक कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करना और उन्हें पुरस्कृत करना तथा कर्मचारियों के हितों को बैंक के दीर्घकालीन हितों के साथ जोड़ना; और
- कर्मचारियों में अपनत्व और स्वामित्व की भावना को बढ़ाना.
- इस योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले नए इक्विटि शेयर, बैंक के वर्तमान इक्विटि शेयर, के साथ बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान सहित पूर्ण रूप से समान (परी-पासू) श्रेणी में होंगे.

लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 41 (4) तथा एसबीईबी नियम के विनियम 6 के अनुपालन में, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटि शेयर जारी करने के लिए तथा आवंटन करने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित कर रहा है.

सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफ़डी/पॉलिसी सेल/2015 दिनांक 16/06/2015 के अनुसार, इसमें उल्लिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क. योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक **यूनियन बैंक ईएसपीएस** के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को लागू क़ानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन **₹10/- (रुपये दस मात्र)** प्रति शेयर के अंकित मूल्य के **8,00,00,000 (आठ करोड़)** नए इक्विटि शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है, जिसका निर्धारण प्रस्ताव के समय इस प्रकार किया जाएगा कि भारत सरकार की शेयर धारिता 52.00% से कम न हो.

ख. स्वीकृत किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या :

यूनियन बैंक – ईएसपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को **8,00,00,000** तक के कुल नए इक्विटि शेयर जारी करने का प्रस्ताव है.

ग. यूनियन बैंक – ईएसपीएस में भाग लेने एवं लाभान्वित होने के लिए कर्मचारियों के वर्गों की पहचान :

1 जनवरी, 2019 दिन मंगलवार से संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को छोडकर बैंक के एमडी & सीईओ और कार्यपालक निदेशक सहित समस्त स्थायी कर्मचारी **यूनियन बैंक – ईएसपीएस** में भाग लेने के हकदार होंगे.

घ. वेस्टिंग की आवश्यकता एवं वेस्टिंग की अवधि :

इक्विटि शेयरों को सीधे ऑफर एवं आबंटित किया जाना प्रस्तावित है और इस प्रकार वेस्टिंग की कोई अवधि नहीं होगी.

ङ. अधिकतम अवधि (एसबीईबी विनियमन के विनियम 18 (1) एवं विनियम 24 (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो) जिसमें विकल्प/एसएआरएस/लाभ निहित होगा.

लागू नहीं.

च. क्रय मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण सूत्र :

बोर्ड/हितधारकों की संबंध समिति (**"एसआरसी"**) द्वारा ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण ऑफर के समय किया जाएगा.

यूनियन बैंक - ईएसपीएस के तहत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य, संबद्ध तारीख के पिछले 26 सप्ताह के दौरान एन एस ई पर इक्विटि शेयरों के साप्ताहिक उच्चतम एवं न्यूनतम मात्रा भारित औसत के 25% छूट से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस मामले में संबध्द तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को बोर्ड / एसआरसी / ईएसपीएस के अधीन शेयर जारी करने हेतु मुल्य तय करेगी.

छ. **प्रयोग की अवधि एवं प्रयोग की प्रक्रिया :**

एसआरसी के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान इश्यू खुले रहेंगे, प्रयोग की अवधि होगी. प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को ऑफर देने, आवेदन एवं अभिदान राशि की प्राप्ति एवं योजना के अनुसार शेयरों का आबंटन शामिल होगा.

ज. **प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया :**

1 जनवरी, 2019 दिन मंगलवार तक पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं एवं दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे.

झ. **प्रति कर्मचारी शेयरों की अधिकतम व कुल संख्या:**

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले नए इक्विटि शेयरों की अधिकतम संख्या **6,725 (छः हजार सात सौ पच्चीस)** इक्विटि शेयर हैं. पात्र कर्मचारी अपनी पात्रता से अधिक संख्या में शेयर हेतु आवेदन कर सकते हैं. लेकिन कर्मचारी को अतिरिक्त शेयर आबंटित करने या ना करने का विवेकसम्मत अधिकार बैंक के पास रहेगा. बैंक कुल **8,00,00,000 (आठ करोड़)** के अधिकतम नए इक्विटि शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव करता है और जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी इक्विटि शेयरों की संख्या इश्यू के बाद बैंक की कुल चुकता पूंजी के 1.00%से अधिक नहीं होगी.

ञ. **योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा :**

उपरोक्त अनुच्छेद (**झ**) के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को जारी इक्विटि शेयरों के अलावा कोई अन्य लाभ देना प्रस्तावित नहीं है.

ट. **क्या योजनाओं को सीधे बैंक द्वारा या न्यास द्वारा कार्यान्वित एवं नियंत्रित किया जाएगा:**

प्रस्तावित योजना को सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित एवं नियंत्रित किया जाएगा.

ठ. **क्या इस स्कीम में बैंक नए शेयर जारी करेगा या न्यास द्वारा माध्यमिक अभिग्रहण किया जाएगा या दोनों शामिल हैं:**

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक सीधे पात्र कार्मिकों को नए इक्विटि शेयर जारी करेगा.

ड. **बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए न्यास को प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती शर्तें आदि.:**

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक के नए इक्विटि शेयर सीधे पात्र कार्मिकों को जारी करना प्रस्तावित है एवं इसलिए न्यास के निर्माण या न्यास को ऋण देना लागू नहीं है.

ढ. **माध्यमिक अभिग्रहण (सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्देशित सीमाओं के अधीन) का अधिकतम प्रतिशत जिसे योजना के उद्देश्यों के लिए न्यास द्वारा बनाया जा सकता है:**

लागू नहीं है.

ण. **इस आशय का एक घोषणापत्र देना कि बैंक एसबीईबी विनियमों के विनियम 15 में वर्णित लेखांकन नीतियों का पालन करेगा:**

बैंक एसबीईबी विनियमों के विनियम 15 में वर्णित लेखांकन पॉलिसियों, यदि वे समय-समय पर लागू हैं, का पालन करेगा.

त. **वह तरीका, जो बैंक अपने विकल्प या एसएआर के मूल्यांकन के लिए प्रयोग करेगा:**

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए इक्विटि शेयर जारी करना प्रस्तावित करता है, इसलिए विकल्पों या एसएआरएस का मूल्यांकन लागू नहीं है.

थ. **निम्नलिखित कथन, अगर लागू है:**

यदि बैंक आंतरिक मूल्यांकन का प्रयोग कर, शेयर आधारित कर्मचारी लाभ पर व्यय की गणना का विकल्प चुनता है, तो इस प्रकार गणना की गयी कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के बीच का चिन्हित किया गया अंतर, यदि इसमें उचित मूल्य का प्रयोग किया गया है तो इसका प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा और बैंक की लाभप्रदता और प्रतिशेयर आय में इस अंतर के प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा.

बैंक उपरोक्त अपेक्षाओं, यदि लागू हों, का पालन करेगा.

द. **अवरुद्धता अवधि:**

एसबीईबी विनियमों के अनुसार यूनियन बैंक - ईएसपीएस के अधीन जारी किए जाने वाले नए इक्विटि शेयर आबंटन की तारीख से न्यूनतम 1(एक) वर्ष के लिए अवरुद्ध रखे जाएगें.

बैंक के एमडी & सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति ऊपर वर्णित प्रस्ताव से संबद्ध एवं इच्छुक हैं क्योंकि यह उनके लाभ के लिए उद्दिष्ट है. अन्य निदेशक इस प्रस्ताव से संबद्ध या इच्छुक नहीं हैं.

आपके निदेशक इस पोस्टल बैलट की नोटिस में वर्णित प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव को पास करने की सिफ़ारिश करते हैं.

निदेशक मण्डल के आदेशों द्वारा जारी

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थानः मुंबई
दिनांकः 3 जनवरी, 2019

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholders,

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Union Bank of India (hereinafter referred to as the **"Bank"**) to pass the following Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "E-Voting". The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto along with Postal Ballot Form (**"Form"**) for your consideration.

The Bank has appointed Mr. Ankur Kumar, M/s Ezy Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot & e-Voting process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Postal Ballot Notice & Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. **5.00 p.m. on Thursday, 14th February, 2019** at the following address:

The Scrutinizer
C/o Datamatics Business Solutions Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot no. B-5, Part B, Crosslane, MIDC
Andheri (East), Mumbai – 400 093

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Postal Ballot Notice and instructions given there under for e-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer **("MD & CEO")** or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **5:00 p.m. on Saturday, 16th February, 2019** at Central Office of the Bank by displaying on the Notice Board and will be intimated to the Stock Exchanges. It will also be hosted on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in and website of the e-voting agency Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** www.evotingindia.com.

To create, grant offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "Union Bank -ESPS") in one or more tranches, to eligible employees, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("Act")**, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **("Scheme")** and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 **("Regulations")**, as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), Stock Exchanges on which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 **("SBEB Regulations")**, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited **("BSE")** and the National Stock Exchange of India Limited **("NSE")** and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such

approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the **"Board"** which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to eligible employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank **("Eligible Employees")**, as may be decided by the Board, aggregating up to **8,00,00,000 (Eight Crore)** new equity shares of face value of ₹ **10/- (Rupees Ten only)** each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as **"Union Bank – ESPS"**), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the Union Bank - ESPS, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the Union Bank - ESPS on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the Union Bank - ESPS, from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the Union Bank - ESPS in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the Union Bank - ESPS and to the shares to be issued pursuant to the proposed Union Bank - ESPS without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any of the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 3rd January, 2019

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Notes:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose Email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any Member has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their Email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in and website of the e-voting agency CDSL www.evotingindia.com.
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on **Friday, 11th January, 2019 ("Cut-off date")**. Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories

as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only.

4. Pursuant to Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any Shareholder casts his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote casted through e-Voting shall prevail and the vote casted through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

6. Further, Shareholders who have received the Postal Ballot Notice by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.unionbankofindia.co.in or by writing to the Company Secretary, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 or by sending E-mail to investorservices@unionbankofindia.com and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach **on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 14th February, 2019.**

7. The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Thursday, 14th February, 2019** i.e. the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

8. A Shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than **5.00 p.m. (IST) on Thursday, 14th February, 2019.** The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received **after 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 14th February, 2019**, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

   (i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or

   (ii) A Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or

   (iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/ or

   (iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or

   (v) the details provided in the Form are incomplete or incorrect; and/or

   (vi) Form is not signed or signature does not tally; and/or

   (vii) if the Form other than the one issued by the Bank is used.

10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Form, he/she may write to the Bank at its Central Office, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 or its Registrar and Share Transfer Agent, Datamatics Business Solutions Ltd, Unit: Union Bank of India, Plot no. B-5, Part B, Crosslane, MIDC Andheri (East), Mumbai – 400093. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer **on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 14th February, 2019.**

11. The process and manner of e-Voting shall be as follows:

   (i) The voting period begins at **9.00 a.m. (IST)** on **Wednesday, 16th January, 2019** and ends at **5.00 p.m. (IST)** on **Thursday, 14th February, 2019.** The e-voting module shall be disabled by CDSL for e-Voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or

in dematerialized form, as on the **cut-off date i.e. Friday, 11th January, 2019** may cast their vote electronically.

(ii) The shareholders should log on to the e-Voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders / Members.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

PAN	• Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number in the PAN field which is printed on Postal Ballot Form or provided in the Email sent to you by CDSL.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	• Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the User ID in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, Shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of **Union Bank of India** to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Explanatory Statement and Disclosures as required to be made in terms of Regulation 6(2) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new Equity Shares to all its permanent regular employees including MD & CEO and Executive Directors of the Bank except employees on contract, as on Tuesday, 1st January, 2019 (**"Eligible Employees"**). The proposed issue will also meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SBEB Regulations, the Bank is formulating a Scheme namely Union Bank of India - Employee Share Purchase Scheme (**"Union Bank – ESPS"**). The Scheme will be administered by the **Stakeholders Relationship Committee ("SRC")** of the Bank and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The Bank has received approval from Government of India vide their letter No. F.No. 11/17/2013-BOA dated 21st December, 2018 for the issuance of upto 8,00,00,000 (Eight Crore) new equity shares to the employees of the Bank, amounting upto to ₹ 600 Crore (Rupees Six Hundred Crores Only) under Union Bank – ESPS in such a way that the Government of India holding does not come below 52.00%.

Out of total equity capital raising plan of **₹ 6,850 Crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Fifty Crore Only)** for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital up to **₹ 600 Crore (Rupees Six Hundred Crore only)** by creating, granting offer, issuing and allotting up to **8,00,00,000** (**Eight Crore**) new Equity Shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each to eligible employees under **Union Bank – ESPS** in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion.

The objects of the issue, apart from raising of long-term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.
- The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the Listing Regulations, 2015 and Regulation 6 of SBEB Regulations, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new Equity Shares to eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2015 dated 16.06.2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. **Brief description of the Scheme:**

The Bank proposes to offer **up to 8,00,00,000** (**Eight Crore**) new Equity Shares of face value of ₹**10/- (Rupees Ten only)** each of the Bank to all the eligible Employees under **Union Bank – ESPS** subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 52.00%.

B. **Total number of shares to be granted:**

Up to **8,00,00,000** (**Eight Crore**) new Equity Shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible Employees under the **Union Bank – ESPS.**

C. **Identification of classes of employees entitled to participate and be beneficiaries in the Union Bank - ESPS:**

All permanent regular employees including MD & CEO and Executive Directors of the Bank except employees on contract as on Tuesday, 1st January, 2019 will be entitled to participate in **Union Bank - ESPS.**

D. **Requirements of Vesting and Period of Vesting:**

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. **Maximum Period {Subject to Regulation 18 (1) and 24 (1) of the SBEB Regulations, As The Case May Be} within which the Options/SARS/Benefit shall be vested:**

Not Applicable.

F. **Purchase Price or Pricing Formula:**

The Offer Price/Purchase Price will be determined by the Board/Stakeholders Relationship Committee **("SRC")** at the time of offer.

The price of the Shares to be allotted under the Union Bank - ESPS to the eligible employees of the Bank shall be at a discount upto 25% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on the recognised stock exchange with highest trading volume during the twenty six weeks preceding the relevant date. The relevant date in this case will be the date on which the Board/ SRC fixes price for issue of shares under ESPS.

G. **Exercise Period and Process of Exercise:**

The period during which the issue remains open as per decision of the SRC shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. **The Appraisal Process For determining the eligibility of employees for the proposed ESPS:**

Eligible Employees as on Tuesday, 1st January, 2019 will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. **Maximum number of Shares to be issued per Employee and in aggregate:**

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme is **6,725 (Six Thousand Seven Hundred Twenty Five Only)** Equity Shares. The eligible employee may also choose to apply for number of shares more than the eligible number of shares. However the Bank at its own discretion may or may not allot the additional number of shares to the employee. The Bank proposes to issue maximum of **8,00,00,000** (**Eight Crore**) new Equity Shares in aggregate and Equity Shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue Paid-up Capital of the Bank.

J. **Maximum quantum of benefits to be provided per employee under the scheme:**

Other than Equity Shares issued to the eligible employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

K. **Whether the scheme(s) is to be implemented and administered directly by the bank or through a trust:**

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. **Whether the scheme(s) involves new issue of shares by the Bank or secondary acquisition by the trust or both:**

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new Equity Shares directly to the eligible employees.

M. **The amount of loan to be provided for implementation of the scheme(s) by the bank to the trust, its tenure, utilization, repayment terms etc.:**

Under the proposed Scheme, the new Equity Shares of the Bank are proposed to be issued directly to the eligible employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. **Maximum percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under the SEBI regulations) that can be made by the trust for the purposes of the scheme(s):**

Not Applicable.

O. **A statement to the effect that the Bank shall conform to the accounting policies specified in regulation 15 of SBEB regulations:**

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations, if applicable from time to time.

P. **The method which the bank shall use to value its Options or SAR:**

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. **The Following Statement, If Applicable:**

In case the Bank opts for expensing of Share Based Employee Benefits using the Intrinsic Value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on Earnings Per Share **("EPS")** of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. **Lock-In Period:**

The new Equity Shares proposed to be issued under the Union Bank - ESPS shall be locked-in for a minimum period of 1 (one) year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The MD & CEO, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned and interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

Your Directors recommend passing of the proposed special resolution mentioned in the Postal Ballot Notice.

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 3rd January, 2019

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टों तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि –

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – 400 093
टेली : 022-66712001-6
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to Register an email ID their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

प्रति,
डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – 400 093
टेली : 022-66712001-6
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट गवर्नेस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____

ई-मेल आईडी _____ @ _____

मोबाईल नम्बर _____

मैं / हम इस आशय से वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमे भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

_____
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date:

To,
Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number _____

Email ID _____@ _____

Mobile Number _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

_____
Signature of the First/Sole Shareholder